

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 281 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाइनेंसर्स (इण्डिया) लि.) जरिये
प्राधिकृत अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह महलाना

रजि. कार्यालय:-19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. प्रदीप शर्मा पुत्र कृष्णदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न 08, जोशी मोहल्ला
ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर 332708
2. कृष्णदत्त शर्मा पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न 08, जोशी मोहल्ला
ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर 332708


-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः प्रदीप शर्मा पुत्र कृष्णदत्त शर्मा व कृष्णदत्त शर्मा पुत्र चिरंजीलाल की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में प्रथम बंधक सम्पत्ति अप्रार्थी के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा न. 31 ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 151.2 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में श्यामसुन्दर शर्मा का मकान, पश्चिम दिशा में सत्यनारायण वगैरह की हवेली, उत्तर दिशा में आम रास्ता व एवं दक्षिण दिशा में गौरीशंकर पुत्र चांदमल शर्मा का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹10,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये दस लाख) की


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **03.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **03.07.2025** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **प्रदीप शर्मा पुत्र कृष्णदत्त शर्मा व कृष्णदत्त शर्मा पुत्र चिरंजीलाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में प्रथम बंधक सम्पत्ति **अप्रार्थी** के स्वामित्व की **अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा न. 31 ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 151.2 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में श्यामसुन्दर शर्मा का मकान, पश्चिम दिशा में सत्यनारायण वगैरह की हवेली, उत्तर दिशा में आम रास्ता व एवं दक्षिण दिशा में गौरीशंकर पुत्र चांदमल शर्मा का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

